(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 16/2023

बउनवान

राज0 सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ
(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री देवकी नन्दन नायक पुत्र श्री टीकम चन्द नायक उम्र 54 वर्ष जाति नायक निवासी 59 न्यू नाकोडा कॉलानी बारॉ (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स शिव ट्रेडिंग कम्पनी नाकोडा कॉलोनी बारॉ
2. मैसर्स शिव ट्रेडिंग कम्पनी 24 बी नाकोडा कॉलानी बारॉ

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/52 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स, 2011

उपस्थिति :– 1– श्री नीरज कुमार नागर खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2– स्वयं उपस्थित (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 13.03.2023

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये श्री गोविन्द सहाय गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.10.2022 को मैसर्स शिव ट्रेडिंग कम्पनी 24 बी नाकोडा कॉलोनी बारॉ (राज.) पर पहुंचा। वहॉ पर श्री देवकी नन्दन नायक पुत्र टीकम चन्द नायक (विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.10.2022 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 29.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक/एच/एफएसएसए/(एफ–28)नोटिफिकेशन/2012/172 दिनांक 01.02.2012 के अनुसार मुझे बास सील संख्या 93 आवंटित की गई एवं श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण राज. जयपुर के आदेश दिनांक 09.06.2022 के द्वारा मुझे कार्यक्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ **मिर्च पाउडर (तरंग मसाले) 500 ग्राम** मूल पौली पैक मे आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर स[illegible] **मिर्च पाउडर (तरंग मसाले) 500 ग्राम** मूल पौली पेक में मिलावट एवं मिथ्याछाप क[illegible] विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की [illegible] फार्म नं0 5[illegible] प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 18:00:22 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा ख[illegible] पदार्थ **मिर्च पाउडर (त[illegible]माले) 500 ग्राम** मूल पौली पेक के 04 मूल पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिसकी कीमत श्री देवकी नन्दन नायक पुत्र टीकम चन्द नायक (विक्रेता एवं मालिक) को 480/– रूपये (अक्षरे चार सौ अस्सी रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **मिर्च पाउडर (तरंग मसाले) 500 ग्राम** मूल पौली पैक के 04 मूल पैक पर ही लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने भाग पर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–1574 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1574 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री देवकी नन्दन नायक पुत्र टीकम चन्द नायक (विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विशलेषक कोटा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्सलेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी. ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2022/345 दिनांक 09.11.2022 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1390/PHL/kota/Act/2022/1393 दिनांक 28.10.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **मिर्च पाउडर (तरंग मसाले) 500 ग्राम** मूल पौली पेक खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 3(1)(ZZ)(Viii) के तहत असुरक्षित (अनसेफ) एवं धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। अप्रार्थी द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाई गई जो रेफरल फूड लैब मैसूर के जॉच सर्टिफिकेट संख्या 1034F/FSSA/2022 दिनांक 10.01.2023 के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 19.01.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा स्वयं उपस्थिति दी गई है। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत नही कर अंतिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण में अप्रार्थी का जवाब बन्द किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 18:00:22 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा विक्रय खाद्य पदार्थ **मिर्च पाउडर (तरंग मसाले) 500 ग्राम** मूल पौली पेक को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप(Mis Branded)** होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी की ओर से दौराने बहस कहा गया कि मेरे द्वारा हाल हीं में जिला उद्योग केन्द्र से लोन लेकर छोटा–सा उद्योग शुरू किया गया है। अप्रार्थी गरीब व्यक्ति है। मेरी फर्म द्वारा निर्मित **मिर्च पाउडर (तरंग मसाले) 500 ग्राम** मे किसी भी प्रकार की मिलावट नही पाई गई है। यह कि हमारी फर्म द्वारा निर्मित **मिर्च पाउडर (तरंग मसाले) 500 ग्राम** प्रयोगशाला द्वारा बैच नं. आदि नही होना दर्शाते हुये मिथ्याछाप करार दिया गया है जिसमें हमारे द्वारा सुधार कर लिया गया है। मेरी फर्म द्वारा निर्मित **मिर्च पाउडर (तरंग मसाले) 500 ग्राम** प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट मे भी शुद्व पाया गया है। श्रीमान से अनुरोध है कि मेरे विरूद्व खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा प्रस्तुत की गई कार्यवाही निरस्त फरमायी जावे।

प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थी यदि रेफरल फूड लैब मैसूर के जॉच सर्टिफिकेट संख्या 1034F/FSSA/2022 दिनांक 10.01.2023 से असन्तुष्ट था तो अप्रार्थी को जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये किन्तु अप्रार्थी द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **मिर्च पाउडर (तरंग मसाले) 500 ग्राम** मूल पौली पेक रेफरल फूड लैब मैसूर के जॉच सर्टिफिकेट संख्या 1034F/FSSA/2022 दिनांक 10.01.2023 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थी को कुल जुर्माना राशि 13,000/– रूपये (अक्षरे तेरह हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **13.03.2023** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 18:00:22 IST
Reason: SelfAttested